न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोद कुमार रिंवव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 934/दावा/2019
दायरा 28/08/2019

उनवान

सूरजबाई पत्नि स्व0 ब्रम्हदत्त जाति ब्राम्हण निवासी छीपा मोहल्ला खानपुर तह0 खानपुर जिला झालावाड़

–– वादी

बनाम्

1. अंशुमान पुत्र स्व0 ब्रम्हदत्त जाति ब्राम्हण निवासी आदर्श कॉलोनी खानपुर तह0 खानपुर जिला झालावाड़
2. शाखा प्रबन्धक एक्सिस बैंक शाखा झालावाड़ हाल खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड़
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार खानपुर जिला झालावाड़

–– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितः– श्री गिरधारीलाल नागर एडवोकेट –वादी

निर्णय

दिनांक 07/ 11/2019

वाद–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने जर्ये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम गोलाना तहसील खानपुर की जमाबंदी सं0 2070–73 की खाता संख्या 10 की ख0नं0 44 की 20.07 बीघा आराजी स्थित है, जो वादीया के पुत्र प्रति0नं0 1 अंशुमान व दूसरे पुत्र अवधेशकुमार के खाते दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम चांदखेड़ी तहसील खानपुर की जमाबंदी सं0 2073–76 की खाता सं0 9 की ख0नं0 328 की 0.10 बीघा, ख0नं0 347 की 4.14 बीघा कुल 5.04 बीघा आराजी स्थित है, जो वादीया व वादीया के पुत्र प्रति0नं0 1 अंशुमान व वादीया के दूसरे पुत्र अवधेशकुमार के संभाग से खाते दर्ज है। खातेदार अवधेशकुमार लाऔलाद फौत हो चुका है, जिसकी वादीया ही एक मात्र उत्तराधिकारी है। वाद की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी मृतक खातेदार अवधेश कुमार वादीया का पुत्र है और वह अनेक वर्षो से झालावाड़ निवास कर रहा था। मृतक खातेदार अवधेशकुमार ने अपने जीवनकाल में झालावाड़ में मकान निर्माण करने के लिये वादीया से 66.00 लाख रू0 अक्षरे छियांसठ लाख रू0 लिये और मकान का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया गया और वादीया द्वारा दिया गया रूपया से ही मृतक अवधेशकुमार ने कोटा में भी कई प्लाट लिये हैं। मृतक खातेदार अवधेशकुमार ने वादीया से प्राप्त रूपये के बदले वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीनी के पक्ष में हक त्याग कर दिया और कब्जा आराजी पर

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

वादीया को संम्भला दिया था। तब से लेकर वादीया, मृतक खातेदार अवधेशकुमार के हिस्से की आराजी पर तब से लेकर आज तक काबिज काश्त है। वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी का हक त्याग वादीया के पक्ष में मृतक खातेदार अवधेशकुमार द्वारा किया जा चुका है और अवधेशकुमार की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार वादीया ही मृतक अवधेशकुमार के हिस्से की आराजी पर खातेदार टीनेंट घोषित होने की अधिकारिणी है। वादीया को मृतक खातेदार अवधेशकुमार के सम्पूर्ण हिस्से पर खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी नं0 1 का नाम भी संम्भाग में दर्ज होने से उसके मन में बदनियती आ गई है और मृतक खातेदार की सम्पूर्ण आराजी को अपने पक्ष में खाते दर्ज करवाने पर आमादा है। यदि प्रतिवादी नं0 1 अपने मन्सूबे में कामयाब हो गया तो वादीया को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन द्रव्य में भी किया जाना संम्भव नहीं होगा। इसलिये प्रतिवादी नं0 1 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी नं0 1 ने दिनांक 18.08.19 को सम्पूर्ण आराजी अपने खाते दर्ज करवाने की धमकी देने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की डिकी सादर फरमायी जावे कि ग्राम गोलाना तहसील खानपुर की जमावंदी सं0 2070–73 की खाता संख्या 10 की ख0नं0 44 की 20.07 बीघा आराजी एवं ग्राम चांदखेड़ी तहसील खानपुर की जमावंदी सं0 2073–76 की खाता सं0 9 की ख0नं0 328 की 0.10 बीघा, ख0नं0 347 की 4.14 बीघा कुल 5.04 बीघा आराजी में से खातेदार अवधेशकुमार के सम्पूर्ण हिस्से पर वादीया को खातेदार टीनेंट घोषित किया जाकर मृतक अवधेशकुमार का नाम खाते से खारिज फरमाया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि ग्राम गोलाना तहसील खानपुर की जमावंदी सं0 2070–73 की खाता संख्या 10 की ख0नं0 44 की 20.07 बीघा आराजी एवं ग्राम चांदखेड़ी तहसील खानपुर की जमावंदी सं0 2073–76 की खाता सं0 9 की ख0नं0 328 की 0.10 बीघा, ख0नं0 347 की 4.14 बीघा कुल 5.04 बीघा आराजी को रहन, बैय, हिब्बा आदि न करें और न ही नामान्तकरण दर्ज करवायें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझें वह अता फरमायी जावे।

वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पक्षकारान ने दिनांक 30.10.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर इस प्रकार राजीनामा पेश किया कि " निवेदन है कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है जिसमें ग्राम गोलाना की खाता नं0 10 ख0नं0 44 की 20.07 बीघा आराजी व ग्राम चांदखेड़ी तहसील खानपुर की नया खाता 9 की ख0नं0 328 0.10 बीघा, ख0नं0 347 की 4.14 बीघा 2 किता 5.04 बीघा आराजी में से मृतक खातेदार अवधेशकुमार जो वादनी का पुत्र व प्रतिवादी का भाई है, इसके हिस्से की सम्पूर्ण आराजी वादनी सूरजबाई के खाते दर्ज किये जाने की सहमति बनी है, जिसमें वादीया व प्रतिवादी सहमत है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर राजीनामा अनुसार वाद, वादनी डिकी फरमाने की कृपा करें। " राजीनामा पक्षकारान को पढ़कर सुनाया गया, जिसे पक्षकारान द्वारा सही एवं सत्य होना एवं राजीखुशी से आलेखित कराया जाना स्वीकार करने पर तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में Pw1 वादनी सूरजबाई के बयान दर्ज कराये तथा वादग्रस्त आराजी ग्राम चांदखेड़ी एवं ग्राम गोलाना

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

की नकल जमाबंदी Exp1, Exp2 प्रदर्श करायी गयी। तत्पश्चात अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का आद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वादनी ने ग्राम गोलाना एवं ग्राम चांदखेड़ी की वादग्रस्त आराजी के खातेदार एवं लाऔलाद फौत पुत्र अवधेशकुमार के हिस्से पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा चाहने का यह वाद पेश किया है। यहां वादनी एवं प्रति0नं0 1 आपस में माता–पुत्र हैं तथा मृतक खातेदार अवधेशकुमार वादनी का पुत्र एवं प्रति0नं0 1 का भाई है, जो लाऔलाद फौत होना प्रकट है। चूंकि यहां पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया है, जो तस्दीक होकर शामिल पत्रावली है। ऐसे में हम न्यायहित में इस वाद को राजीनामा के अनुसार निर्णित करना उचित समझते हैं।

अतः वाद, वादी राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा वादनी सूरजबाई को ग्राम गोलाना की जमाबंदी सं0 2070–73 की खाता संख्या 10 की ख0नं0 44 की 20.07 बीघा एवं ग्राम चांदखेड़ी की जमाबंदी सं0 2073–76 की खाता सं0 9 की ख0नं0 328 की 0.10 बीघा, ख0नं0 347 की 4.14 बीघा कुल 2 किता की 5.04 बीघा आराजी में मृतक खातेदार अवधेशकुमार के हिस्से पर खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। उक्त दोनों खातों से मृतक खातेदार अवधेशकुमार का नाम खारिज हो। आराजी पर रहन का अंकन यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। साथ ही प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 07/11/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar Sindhav
Date: 2019.11.22 12:19:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: